न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28/2019

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

1. चुन्नीलाल आत्मज सुरजमल जाट निवासी सिरोहीखेड़ा तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल आत्मज सुरजमल जाट निवासी सिरोहीखेड़ा तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
3. अम्बालाल आत्मज सुरजमल जाट निवासी सिरोहीखेड़ा तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा
4. रामी वेवा सुरजमल जाट निवासी सिरोहीखेड़ा तहसील–सहाड़ा , जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा

–विपक्षी

वकिल प्रार्थीगणः– श्री रितेश सुराणा
विपक्षीः– सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 24/07/2020

प्रार्थीगण ने दिनांक 24.09.2019 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सिरोहीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाडा के वेरून हल्का आबादी की साविक आराजी संख्या 214/2 रकबा 12 बीघा भूमि किस्म छा0क0 अन्य आराजियात के साथ स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 तक मय साविक नक्शे के साथ पेश है।

यह कि भुप्रबंध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सिरोहीखेड़ा का भी नवीन भुप्रबंध हुआ। जिसमें साविक आराजी संखय 214/2 रकवा 12 बीघा के नवीन नम्बर 643 रकबा 0.20 हे0, 647 रकवा 0.04 हे0, 653 रकवा 0.23 हे0, 655 रकबा 0.20 हे0, 656 रकबा 0.11 हे0, 657 रकवा 0.20 हे0, 658 रकवा 0.80 हे0, वे आंशिक [illegible] किये गये। प्रमाण मे नकल मिलान क्षेत्रफल साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त वर्णित साबिक आराजी सुरजमल आत्मज रामा जाट के नाम राजस्व अभिलेखो में खातेदारी अधिकारों से दर्ज रेकार्ड थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत से उक्त आराजी व अन्य आरायिजात हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है।

यह कि भु प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भु प्रबंध अधिकारियों ने मौके की वास्तविक सिति की जांच किये बिना एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के साबिक आराजी संख्या 214/2 में खाते में दर्ज किस्म एवं राजस्व नक्शे में दर्ज आराजी की स्थिति के परे जाकर नवीन नम्बरों में आराजी संख्या 653 रकबा 0.23 हे0, व आराजी संख्या 637 रकबा 0.20 हे0 को गै0मु0 रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शे में भी उक्त आशय की तब्दीलात करते हुए राजस्व नक्शें में रास्तेनुमा लाईन अंकित कर दी जो सर्वथा गैर कानूनी होकर अवैध है। जिससे साबिक रेकार्ड एवं नक्शे के अनुसार ही वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में तरमीम/संशोधन कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सिरोहीखेड़ा तहसील सहाड़ा की साबिक आराजी संख्या 214/2 की साबिक रेकार्ड एवं साबिक नक्शे के अनुसार जो किस्म दर्ज थी वह किस्म हाल आराजी संख्या 653 व 657 में दर्ज किस्म गै0मु0 रास्ता के बजाए किस्म छा0क0/बीड़ दर्ज करवाई जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। साथ ही साबिक नक्शे के अनुरूप ही नवीन नक्शे में अंकित आराजी संख्या 653 व 657 में अंकित रास्तेनुमा लाईन को हटवाई जाकर एक ही चक के रूप में नक्शा संशोधित किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 लगायत 3 को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया एवं पेरा संख्या 4 को आंशिक स्वीकार किया तथा पेरा संख्या 5 लगायत 7 एवं पेरा 8 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिरोहीखेड़ा पटवार हल्का कांगणी तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजी संख्या 214/2 रकबा 12 बीघा भूमि किस्म छा0क0 एक ही चक के रूप में स्थित थी। भुप्रबंध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सिहरोहीखेड़ा का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ, जिसमें भुप्रबंध अधिकारियों द्वारा साबिक रेकार्ड से नवीन रेकार्ड कायम करते समय अपने कार्य में गौर लापरवाही बरतते हुए साबिक आराजी संख्या 214/2 जो पूर्व में एक ही चह थी को नवीन रेकार्ड में कई टुकड़ो के विभाजित कर उसके नवीन नम्बर 643, 647, 653, 655, 656, 657, 658 व आंशिक 654 कायम किये एवं साबिक किस्म छा0क0 थी उसमें भी परिवर्तन करते हुए उक्त साबिक नम्बर से बनाये गये नवीन नम्बर 653, 657 की किस्म को गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जबकि साबिक आराजी व नक्शे में कभी कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। जो कार्य भुप्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने कार्यों में गौर लापरवाही करते हुए ... राजस्व रेकार्ड में गड़बड़ी कर हेराफेरी कर परिवर्तन कर दिया जो सर्वथा गैर ... अवैध है। जिसकी जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

होने पर प्रार्थीगण ने साबिक राजस्व रेकार्ड व नक्शे अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दुरूस्ती एवं संशोधन हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर विपक्षी ने प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए भुप्रबंध की कार्यवाही के दौरान राजस्व रेकार्ड व नक्शे में परिवर्तन को स्वीकार किया है। जिससे भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में दुरूस्ती का प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में साबिक राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी की नकल एवं साबिक नक्शा , मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे की नकल पेश की है। जिनसे भी प्रथम दृष्टया भुप्रबंध के कार्यवाही के दौरान भुप्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही एवं गड़बड़ी प्रमाणित है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उक्तानुसार बहस तथा लिखित बहस, पेरोकार सरकार का जवाब एवं रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । भूप्रबंध अधिकारी के भूमापक द्वारा नक्शा लट्ठा मौके की तत्समय की आकृतियों को मध्यनजर रखते हुए विभाजन करते हुए नवीन राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा बनाया गया है। साबिक राजस्व रेकार्ड एवं जमाबंदी अनुसार संशोधन करवाया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। साबिक आराजी नं0 214/2 रकबा 12 बीघा का नवीन रकबा 2.5 हे0 बनता है एवं साबिक आराजी नं0 214/2 रकबा 12 बीघा के नवीन आराजी नं0 643/0.2000, 647/0.0400, 653/0.2300, 654/1.000, 655/0.2000, 656/0.1100, 657/0.2000, 658/0.8000 बने जिनका कुल रकबा 2.7800 बनता है जिसमें साबिक आराजी नं0 258 रकबा 0.13 बीघा, 260 रकबा 0.05 बीघा का कुल 18 बिस्वा का नवीन रकबा 0.19 हे0 शामिल है। इस प्रकार साबिक आराजी नं0 214/2 के साबिक रकबा 12 बीघा का नवीन भूमाप से रकबा 2.59 बराबर बन रहा है। साबिक नक्शे एवं हाल नक्शे से यह स्पष्ट हैं कि साबिक आराजी नं0 214/2 रकबा 12 बीघा के नक्शा अनुसार ही नवीन आ0 नं0 643, 647, 653, 654, 655, 656, 657, 658 एक ही चक है। इसलिए आ0नं0 653 एवं 657 की नक्शें में आकृति बदलना उचित नहीं है अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम सिरोहीखेड़ा तहसील सहाड़ा की साबिक आराजी संख्या 214/2 की साबिक रेकार्ड अनुसार जो किस्म दर्ज थी वह किस्म हाल आराजी नं0 653 एवं 657 में दर्ज किस्म गै0मु0 रास्ता के बजाए किस्म छा0क/बीड़ दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली वाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / न्यायालय / प्र0सं0 28 / 2019 दिनांक 30/7/2020

निमित,

तहसीलदार

सहाडा

विषय:– आदेश की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 28/2019 प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट चुन्नीलाल वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24-07-2020 की प्रतिलिपि एवं प्रार्थी द्वारा निर्णय की पालना हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है ।

अतः मुताबिक निर्णयनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner